संचिका संख्या 14/विविध–104/ 2002–

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय : राज्य के सेवी वर्ग को इन्ट्रा ऑकुलर लेंस इम्पलान्ट एवं सम्बन्धित शल्य चिकित्सा के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम प्रतिपूर्त्ति योग्य राशि का निर्धारण ।

ऑख के रोगियों के द्वारा इन्ट्रा ऑकुलर लेंस लगाये जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग में जो प्रस्ताव आ रहे थे उसमें लेंस की दर की भिन्नता के कारण प्रतिपूर्ति की राशि में एकरूपता का अभाव पाया जा रहा था । फलस्वरूप लेंस की कीमत का निर्धारण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ।

2. सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों, राज्य सम्पोषित अस्पतालो एवं राज्य के **बाहर अनुमति प्राप्त अस्पतालों** में नेत्र रोग के लिए करायी गई अन्तर्वासी चिकित्सा के क्रम में इन्ट्रा ऑकुलर लेंस (फोल्डेड एवं अनफोल्डेड) इम्पलान्टेशन के लिए अधिकतम **5000/– (पॉच हजार)** रूपये अनुमान्य होगा एवं **शल्य चिकित्सा में होनेवाला** व्यय जो अनुमान्य हो, दिया जायेगा परन्तु लेंस एवं चिकित्सा दोनों पर होने वाले व्यय की अधिकतम सीमा मात्र **10,000/– (दस हजार)** रूपये ही निर्धारित की जाती है ।

3. इसमें मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है ।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प बिहार गजट के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियॉ सभी सम्बद्ध पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
09/12/03
(सी0के0 अनिल)
सरकार के अपर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 14/विविध –104/2002 3800(14)/स्वा0, पटना, दिनांक : 10.12.03
प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 2000 (दो हजार प्रतियॉ)स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

09/12/03
सरकार के अपर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 14/विविध –104/2002 3800(14) /स्वा0, पटना, दिनांक : 10.12.03
प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, राज्य के सभी कोषागार (उप कोषागार सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

09/12/03
सरकार के अपर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 14/विविध –104/2002 3800(14) /स्वा0, पटना, दिनांक : 10.12.03
प्रतिलिपि मुख्य मंत्री सचिवालय/ मुख्य सचिव के सचिव/ विकास आयुक्त के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि सरकार के सभी विभाग/स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त,/ उपायुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी अनुमंडलीय पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वा0 सेवाएँ/ सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/ सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक/ निदेशक, इन्दिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान पटना एवं निदेशक, इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

09/12/03
सरकार के अपर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना